न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 84/2021

उनवान

शारदा पुत्री उदा पत्नि शंकर भांबी हाल निवासी ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद
–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री रमेश सिंह रावत

बनाम

1 महावीर पुत्र उदा जाति भांबी निवासी ग्राम चाट, नसीराबाद
2. जगदीश पुत्र हगामा जाति बैरवा निवासी कराटी बान्दनवाड़ा, भिनाय।
3. पारसी पत्नि रामदयाल जाति भांबी निवासी ग्राम चाट नसीराबाद।
4. उपपंजीयक महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद।
–– अप्रार्थीगण :– 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
4 व 5 जरियें राज0 पैरोकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :–

दिनांक :– 5/8/24

प्रार्थी ने जरियें अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की सह खातेदारी/ सह काश्तकारी की पुश्तैनी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की प्रार्थी के पिता से क्रय की गयी भूमि है। जिस पर प्रार्थी का विरासत के आधार पर हक व अधिकार है। खातेदारी की भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
82/79	किता 3	0.25
85/80	किता 6	0.69
83/80	किता 2	3.10
84/80	674	1.65

उपरोक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता उदा पुत्र रामचन्द्र को विरासत से प्राप्त भूमि है। जिस पर प्रार्थी का जन्म से विरासत के आधार पर अधिकार निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी माता लाली ने षडयंत्रपूर्वक प्रार्थी को हक व अधिकार नही देने के उद्देश्य से प्रार्थी के पिता से मिलीभगत कर उक्त आराजी में खाता संख्या 80/62 के हाल खाता सख्या 85/80 मे प्रार्थी के पिता का सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 02.12.15 को अप्रार्थी संख्या 2 को व तत्कालीन खाता संख्या 79/61 हाल खाता संख्या 82/79 में सभी खसरा नम्बरों पर प्रार्थी के पिता का सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 को दिनांक 16.06.16 को हाल खाता संख्या 84/80 के खसरा नम्बर 674 रकबा 1.65 में प्रार्थी के पिता का 10/11 हिस्सा बैचान कर शेष सम्पूर्ण उक्त आराजी में से 674 में अप्रार्थी संख्या 3 को बैचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

करने के बाद सम्पूर्ण भूमि का बैचान अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नाबालिग अवस्था में जरियें माता संरक्षक लाली से बैचान कर लिया। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हो गयी है। उक्त सभी विक्रय पत्र प्रार्थीया के हक व हिस्से पर विधि विरूद्व होने से निष्प्रभावी है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा उझा पुत्र रामचन्द्र ने अपने जीवनकाल में ही गम्भीर बिमारी तथा परिवार का लाललन–पालन करने के लिये परिवार की सहमती से अप्रार्थीगण को बेचान की थी। विक्रय दिनांक से अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे है। उक्त विक्रय पत्र के विरूद्व सिविल न्यायालय में चाराजोही नही की है। प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा को पुश्तेनी सिद्व करने हेतु कोई अभिलेख पेश नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज योग्य है। जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा वर्किंग जमाबंदी में रामचन्द्र पुत्र सरूपा के नाम दर्ज है। तथा विरासत से उक्त आराजी पूसालाल व उदा पि. रामचन्द्र के नाम दर्ज हुयी। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा अलग–अलग खातों में पूसालाल पुत्र रामचन्द्र व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में उदा के पिता के नाम दर्ज थी। उदा द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आराजी का बैचान अन्यत्र व अपने पुत्र महावीर पुत्र उदा को कर दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से उदा द्वारा 2 विवाह करना स्पष्ट होता है। अप्रार्थीगण का कथन है कि उदा ने अपनी पारिवारिक आवश्यकता हेतु अपने जीवनकाल में ही परिवार की सहमती से भूमि का विक्रय किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भूमि के मौके की यथास्थिति का अनुतोष चाहा है किन्तु उदा द्वारा समस्त भूमि का विक्रय कर दिया गया है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा का विक्रय किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 सद्भाविक केता है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज नही है। प्रार्थी के पिता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को भूमि का बैचान किया जा चुका है जिसका नामान्तकरण भी केतागण के पक्ष में दर्ज हो गया है। मौके पर कब्जे की स्थिति मूल वाद में साक्ष्य अदि से ही सिद्व होगी। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की [illegible] प्रार्थी के पक्ष में नही है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी [illegible] शेष तथ्यो का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आदेश :– अतः ग्राम चाट की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:21 IST
Reason: SelfAttested